सं.एन.-41011/34/2020-बीसी. III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 10 जनवरी, 2022

<u>एडवाइजरी</u>

वर्ष 2005 के डब्ल्यूपी (सी) सं. 473 में संपूर्ण बेहुरा बनाम भारत संघ यूओआई और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02.08.2018 और 07.08.2018 के आदेशों के अनुसरण में, दिनांक 03.08.2018 और 31.08.2018 को इस मंत्रालय द्वारी जारी की गई एडवाइजरी के संबंध में ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें सभी प्राइवेट टीवी चैनलों से अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्त अदालती आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि पीड़िता की सुरक्षा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और जनहित में यौन शोषण के पीड़ितों की तस्वीरें कहीं भी रूपांतरित या धुंधले रूप में प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए। तथापि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ टीवी चैनलों ने बलात्कार पीड़िता या यौन उत्पीड़न की शिकार लड़की का चेहरा दिखाकर या उसकी निजी जानकारी उजागर करके उसकी पहचान उजागर कर दी है। यह उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप नहीं है।

2. इसलिए, सभी टीवी चैनलों को फिर से सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह से यौन उत्पीड़न की शिकार लड़कियों/महिलाओं की पहचान का खुलासा करने से सख्ती से बचें और ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते समय संयम, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता बरतें और कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता में निहित प्रावधानों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें।

(जीसी एरॉन)
निदेशक (बीसी)
दूरभाष: 23386394

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ), बी304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049

2. अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ), 3-बी, जीजी-2 ब्लॉक, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018 (nbf@newsbroadcastersfederation.com)